

पत्रांक:-10 / न-56 / 2017

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

तस्मीमुर रहमान,
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

आश्यक,
के न्दीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

विषय:-

Nirmala Catholic School, Tirbirwa, Yadopur Road, Gopalganj को CBSE बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्णय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि Nirmala Catholic School, Tirbirwa, Yadopur Road, Gopalganj को अनापति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यालयक दण्डाधिकारी के समस्य लिये गये शपथ-पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों एवं जाच समिति के प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई-

1. यह विद्यालय Immaculate Heart Of Mary Society के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। मोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्योरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निवधित सोसाइटी/न्यास के फ़ैन्डार्ड्जी अथवा किसी विद्यालय के बांड ऐसे उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 1.5 एकड़ भूमि निवधित 45 डिसमिल भूमि 33 बर्चों के लौज पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हैं। विद्यालय में कुल 13 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पारिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा नियारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कारबाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सम्मति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक-04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत नियुक्त नामांकन पद्धति में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे दृश्यान् शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, मिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यस्त्वयक, विकलांग बालिकाएं तथा सामाज्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपया 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

Principal
Nirmala Catholic School
Tirbirwan, Yadopur Road

78A.F.M.O.C.Letter

Manager
Nirmala Catholic School
Tirbirwan, Yadopur Road
Gopalganj

Vyi

(ii) विद्यालय में नर्सरी/केठी जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/केठी जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही सी० बी० एस० ई०, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्ध रद्द करने के कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक 46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने सबधीं आदेशों का विद्यालय द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय, विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार Nirmala Catholic School, Tirbirwa, Yadpur Road, Gopalganj को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु सी० बी० एस० सी० एफिलियेशन बायलॉज में वर्णित प्रावधानानुसार 3 सेक्षन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी० बी० एस० ई० अपने स्तर से संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबंधता देने पर विचार करेगी।

विश्वासमाजन

ह०/-

(तस्नीमुर रहमान)

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा),

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :- 10 / न - 56 / 2017

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आकश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक 14/10/2018

ज्ञापांक :- 10 / न - 56 / 2017 1326

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, Nirmala Catholic School, Tirbirwa, Yadpur Road, Gopalganj को सूचनार्थ एवं आकश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

14/10/18